



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:18874-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दोषपूर्ण विशेष अपील संख्या - 152 वर्ष 2026

प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, लखनऊ और 2 अन्य .....अपीलार्थीगण

बनाम

मनीष कुमार

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : एस०एम० सिंह रायकवार, ए०ए०जी०, अनिरुद्ध सिंह, सी०एस०सी०

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अजीत प्रताप सिंह, अपूर्व तिवारी, अभिषेक सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. यह विशेष अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.08.2025 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, दिनांक 01.07.2025 के निलंबन आदेश को स्थगित रखने का आदेश दिया गया था।
2. जब वर्तमान विशेष अपील इस न्यायालय के समक्ष आई, तो यह देखा गया कि दिनांक 08.08.2025 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था और वह भी इस तथ्य के बावजूद कि जांच रिपोर्ट पहले ही 23.08.2025 को प्रस्तुत की जा चुकी थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अपीलार्थीगण को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदान किए गए अंतरिम आदेश का पालन न करने के संबंध में अधिकारी के आचरण के विषय में अनुदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।
4. आज एक अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच रिपोर्ट और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.08.2025 के आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी को बहाल करने का दिनांक 14.03.2026 का आदेश अभिलेख पर रखा गया है। आगे यह भी इंगित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
5. अपील 157 दिनों से कालबाधित है।
6. जैसा कि इसके पूर्व देखा गया है, अधिकारी का संपूर्ण आचरण, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों का पालन न करने में और इस तथ्य के बावजूद कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी, 157 दिनों के विलंब के साथ बहाली के आदेश पर प्रश्न उठाने का विकल्प चुनना, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी के प्रति आशय सद्भावनापूर्ण नहीं है।
7. उन परिस्थितियों में और इस तथ्य को देखते हुए कि दिनांक 08.08.2025 के आदेश का पहले ही अनुपालन हो चुका है, हमें अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं मिलता है।
8. विलंब क्षमा आवेदन खारिज किया जाता है।
9. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है।
10. हम यह स्पष्ट करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए अपीलार्थीगण द्वारा जो जांच आरंभ की गई है, वह केवल एक दिखावा नहीं होगी और इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

मार्च 16, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एन०डी०

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।